RAMANUJAN COLLEGE
LIBRARY

May 2026

NEWSPAPER CLIPPINGS

हिन्दुस्तान

4th May 2026

टीचर्स कॉलेज पर फीडबैक मांगने का विरोध

शहीद भगत सिंह ईवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, सिर्फ सुधार के लिए फीडबैक

Katyayani.Upreti
@timesofindia.com

□ नई दिल्ली : दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह ईवनिंग कॉलेज के उस नोटिस पर टीचर्स ने कड़ा विरोध जताया है, जिसमें स्टूडेंट्स से फैकल्टी और कॉलेज पर फीडबैक मांगा गया है। इसके लिए अंतिम तारीख 10 मई तय की है। 30 अप्रैल को प्रिंसिपल की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, कॉलेज के ERP पोर्टल पर मौजूदा सेमेस्टर के लिए फीडबैक फॉर्म में स्टूडेंट्स को दो तरह के फीडबैक अनिवार्य रूप से भरने हैं। पहला फैकल्टी फीडबैक, जिसमें टीचर्स की पढ़ाने की शैली, कोर्स डिलीवरी और अकैडमिक सहभागिता पर उन्हें राय देनी होगी। दूसरा कॉलेज फीडबैक, जिसमें स्टूडेंट्स बताएंगे कि कॉलेज का इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, प्रशासनिक सहयोग और स्टूडेंट अनुभव उन्हें कैसा लगा। प्रिंसिपल का कहना है कि इस फीडबैक का मकसद किसी टीचर को सजा देने का नहीं, बल्कि सुधार का है।

स्टूडेंट्स से फैकल्टी और कॉलेज पर फीडबैक मांगा गया है

आम आदमी पार्टी के टीचर्स असोसिएशन (AADTA) ने कहा है कि फीडबैक को अनिवार्य बनाना जबरदस्ती का माहौल बनाता है। नैशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने प्रिंसिपल को पत्र लिखकर कहा है कि स्टूडेंट्स का फीडबैक हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। दूसरी ओर, टीचर्स के एक ग्रुप का कहना है कि अगर कोई टीचर क्लास नहीं लेता है या ठीक से पढ़ाता नहीं है, तो फीडबैक लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

NBT
नवभारत टाइम्स

15th May 2026

सेंट स्टीफंस में रोकी जाए प्रिंसिपल की नियुक्ति: DU

□ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

सेंट स्टीफंस कॉलेज में नई प्रिंसिपल की नियुक्ति के ऐलान के एक दिन बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस नियुक्ति को रोकने को कहा है। गुरुवार को डीयू रजिस्ट्रार प्रो विकास गुप्ता ने कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा है कि प्रिंसिपल नियुक्ति के लिए बनी मौजूदा चयन समिति यूजीसी रेगुलेशंस 2018 के अनुरूप नहीं है, इसलिए उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सकता । प्रो विकास गुप्ता ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कॉलेज ने डीयू प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दी, यूनिवर्सिटी को कोई जानकारी नहीं थी कि कब सिलेक्शन कमिटी बनी, कब इंटरव्यू हुए। पत्र में डीयू ने कहा है कि यूजीसी रेगुलेशंस 2018 के तहत प्रिंसिपल चयन समिति में वाइस चांसलर के नॉमिनी और यूनिवर्सिटी के नॉमिनेट किए गए एक्सपर्ट्स का शामिल होना जरूरी है लेकिन कॉलेज ने यूनिवर्सिटी से कोई अनुरोध नहीं किया ।

यह भी कहा गया है कि सेंट स्टीफंस एक अल्पसंख्यक संस्थान है, मगर फिर भी प्रिंसिपल नियुक्ति के लिए चयन समिति यूजीसी के तय नियमों के तहत ही होनी चाहिए।

डीयू प्रशासन का कहना है कि मौजूदा चयन समिति वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं बनाई गई इसलिए नई नियुक्ति प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए और यूजीसी रेगुलेशंस 2018 के मुताबिक नई चयन समिति बनाकर प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाए। 12 मई को सेंट स्टीफंस कॉलेज ने प्रोफेसर सुज़न इलियास को अपना नया प्रिंसिपल घोषित किया। वह कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल चुनी गईं।

20th May 2026

दैनिक जागरण

डीयू के पांच वर्षीय ला कोर्स में 21 मई तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: डीयू में पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड ला प्रोग्राम में प्रवेश का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। विश्वविद्यालय ने बीए एलएलबी (आनर्स) और बीबीए एलएलबी (आनर्स) में दाखिले के लिए सीट आवंटन का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। साथ ही छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 18 मई से बढ़ाकर 21 मई कर दी गई है। दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्लैट -2026 के स्कोर के आधार पर होगा। सीट) आवंटन का पहला दौर एक जून शुरू होगा। चयनित अभ्यर्थी एक से तीन जून तक अपनी सीट स्वीकार कर सकेंगे। इसके बाद फैकल्टी आफ ला एक जून शाम पांच बजे से चार जून शाम 4:59 बजे तक दस्तावेजों का आनलाइन सत्यापन करेगी। फीस जमा करने की अंतिम तिथि छह जून शाम 4:59 बजे निर्धारित की गई है। दूसरे दौर की सीट आवंटन प्रक्रिया 10 से शुरू होगी। छात्र 10 से 12 जून तक सीट स्वीकार कर सकेंगे। दस्तावेज सत्यापन 13 जून तक और फीस भुगतान 15 जून शाम 4:59 बजे तक किया जा सकेगा। पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थी 22 और 23 मई को रात 11:59 बजे तक अपने आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे।

27th May 2026

दैनिक जागरण

बकरीद मनाने वाले छात्रों के लिए बाद में होगी विशेष परीक्षा : डीयू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: बकरीद की तारीख पर परीक्षा कराने के खिलाफ दायर याचिका पर डीयू ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया है कि मुस्लिम छात्रों के लिए चार जुलाई के बाद एक विशेष परीक्षा कराई जाएगी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष डीयू ने यह भी कहा कि जो छात्र 28 मई को परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, वे ईमेल के जरिये ला फैकल्टी के डीन को बुधवार तक दी है, लेकिन ला फैकल्टी ने उसी सूचित कर सकते हैं।

इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जिन छात्रों ने छूट मांगी है, उन्हें पुनर्निर्धारित परीक्षाओं के बारे में कम से कम एक सप्ताह पहले बताना होगा। याचिका में कहा गया था कि भले ही केंद्र सरकार, डीयू, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बकरीद के कारण 28 मई को छुट्टी घोषित कर तारीख पर परीक्षा निर्धारित की है। ला फैकल्टी के छठे सेमेस्टर के छात्र सैफ रशीद सईद ने याचिका दायर कर छठे सेमेस्टर की पब्लिक पालिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी। उन्होंने डीयू द्वारा इस संबंध में जारी कार्यालय आदेश को मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया था।